उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लैटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) (संशोधन) अधिनियम, 1972

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33, 1972)

(उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 26 जुलाई, 1972 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 1 अगस्त, 1972 ई० की बैठक में स्वीकृत किया ।)

("भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 16 अगस्त, 1972 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 18 अगस्त, 1972 ई० को प्रकाशित हुआ ।)

° उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लैटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) अधिनियम, 1962 को संशोधित करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लैटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा ।

उ० प्र० अधिनियम 14, 1962 में नई धारा 4 का बढ़ाया जाना

2—उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लैटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) अधिनियम, 1962 में धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय; अर्थात्:—

"4—(1) किसी वाद या कार्यवाही से, जो चाहे इस धारा के प्रारम्भ होने से पहले या उसके पश्चात् संस्थित अथवा प्रारम्भ की गयी हो, उत्पन्न होने वाली किसी अपील में राजस्व परिषद् द्वारा यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, 1939 अथवा 1950 ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम अथवा उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956, अथवा जौनसार बावर जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956, अथवा कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1960 के अधीन दिये गये अथवा दिये जाने के लिये तात्पर्यित निर्णय, डिक्री या आज्ञा के सम्बन्ध में, अथवा चकबन्दी संचालक (जिसके अन्तर्गत कोई ऐसा अधिकारी भी है जो चकबन्दी संचालक की शक्तियों तथा कर्तव्यों का तात्पर्यित प्रयोग तथा पालन कर रहा हो) द्वारा उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 के अधीन दिये गये या दिए जाने के लिए तात्पर्यित निर्णय, डिक्री या आज्ञा के सम्बन्ध में, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 अथवा 227 के अधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करके कृत निर्णय अथवा आज्ञा के विरुद्ध कोई अपील उच्च न्यायालय में नहीं की जा सकेगी, भले ही यू० पी० हाई कोर्ट्स (अमलगमेशन) आर्डर, 1948 के खण्ड 7 तथा 17 के साथ पठित हर मैजेस्टी के लैटर्स पेटेन्ट, दिनांक 17 मार्च, 1866 के खण्ड दस में अथवा अन्य किसी विधि में कोई प्रतिकूल बात दी हो ।

कतिपय मामलों में रिट याचिका के क्षेत्राधिकार का प्रयोग करके उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा दिये गये निर्णय या दी गयी आज्ञा के विरुद्ध अपीलों की समाप्ति

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी, इस धारा के प्रारम्भ के तत्काल पूर्व विचाराधीन सभी अपीलें उसी प्रकार सुनी और निस्तारित की जायेंगी मानो कि यह धारा अधिनियमित न की गयी हो ।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12, 1972 का निरसन

3—उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लैटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) (संशोधन,) अध्यादेश, 1972 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 21 जुलाई, 1972 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये ।)

पी०एस०यू०पी०—ए० पी०—184 जनरल (लेग०)—1972—1884+50 SS (मे०) ।

THE UTTAR PRADESH HIGH COURT (ABOLITION OF LETTERS PATENT APPEALS) (AMENDMENT) ACT, 1972

(U. P. Act No. 33 of 1972)

[**Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Uchcha Nyayalaya (Letters Patent Appeals Samapati) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1972*]

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh High Court (Abolition of Letters Patent Appeals) Act, 1962

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-third Year of the Republic of India as follows :

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh High Court (Abolition of Letters Patent Appeals) Act, 1972.

Insertion of new section 4 in U. P Act XIV of 1962.

2. *After* section 3 of the Uttar Pradesh High Court (Abolition of Letters Patent Appeals) Act, 1962, the following section shall be *inserted*, namely :

Abolition of appeals from the Judgment or order of one judge of the High Court made in the exercise of writ jurisdiction in certain cases.

"4. (1) No appeal, arising from a suit or proceeding instituted or commenced, whether prior or subsequent to the commencement of this section, shall lie to the High Court from a judgment or order of one judge of the High Court, made in the exercise of jurisdiction conferred by Article 226 or Article 227 of the Constitution, in respect of a judgment, decree or order made or purported to be made by the Board of Revenue under the United Provinces Land Revenue Act, 1901, or the U. P. Tenancy Act, 1939, or the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, or the Uttar Pradesh Urban Areas Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1956, or the Jaunsar-Bawar Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1956, or the Kumaun and Uttarakhand Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1960, or by the Director of Consolidation (including any other officer purporting to exercise the powers and to perform the duties of Director of Consolidation) under the U. P. Consolidation of Holdings Act, 1953, anything to the contrary contained in clause ten of the Letters Patent of Her Majesty, dated March 17, 1866, read with clauses 7 and 17 of the U. P. High Courts (Amalgamation) Order, 1948, or in any other law notwithstanding.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), all appeals pending before the High Court on the date immediately preceding the date of commencement of this section shall be heard and disposed of as if this section had not been enacted."

Repeal of U. P. Ordinance no. 12 of 1972.

3. The Uttar Pradesh High Court (Abolition of Letters Patent Appeals), (Amendment) Ordinance, 1972, is hereby repealed.

(*For statement of Objects and Reasons please *see Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*) dated July 21, 1972.)

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on July 26, 1972 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on August 1, 1972.)

(Received the assent of the Governor on August 16 1972 under Article 200 of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated August 18, 1972.)

PSUP—A.P. 185 Gel. (Leg)—1972—1852+50 ss. (M.)